Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director
Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120

E-mail: fdptr82@gmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक/तकनीकी/2025/614 **पन्ना, दिनांक–13/03/2025**

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग रा.रा.
सागर संभाग सागर (म0प्र0)

विषय :– **पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021)**

संदर्भ :– **1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/1215/2023/10–11/106 दि. 08.01.2025**
2.आपका पत्र क्रमांक/116/व.ले.लि./2024–25 दिनांक 16.01.2025 एवं पत्र क्र./464 दिनांक 28.02.2025

––00––

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से योजना के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व 04 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे। जिसके संदर्भ में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की गई। आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुक्रम में योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वनभूमि के मद के संबंध में बिन्दु क्र. 03 के तहत भूमि के मद की जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त की गई। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि खसरा नम्बर 69, 70 का मद जंगल है, खसरा नम्बर 72 का मद जंगल कदीम है एवं खसरा नम्बर 101, 94, 95, 80 का मद पहाड़ दर्ज है। **प्रति संलग्न है।**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र. सा.का.नि.869(अ) नई दिल्ली दिनांक 20 नवम्बर 2023 से जारी निर्देश के नियम 13(1) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित भूमि आवश्यकता के लिये स्पष्ट किया गया है।

1. भूमि जिसपर इस अधिनियम के उपबंध लागू नही है– **समतुल्य भूमि**
2. भूमि जो सरकारी रिकार्ड में ''वन'' के रूप में अभिलेखित है– **दो गुणा भूमि**

उक्त योजना में कलेक्टर छतरपुर द्वारा आवंटित भूमि जंगल मद की भूमि है। अतः प्राप्त निर्देशानुसार योजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के दुगनी गैर वनभूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि वरिष्ठ से प्राप्त निर्देशों के पालन में संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रेषित की जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

पृ0क्र0/तकनीकी/2025/615 **पन्ना, दिनांक 13/03/2025**

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा0 अनुभाग–बिजावर जिला छतरपुर (म0प्र0)

कमांक /102/भू–अर्जन/2025 बिजावर, दिनांक 11.03.2025

प्रति,

अधीक्षक
केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो
पन्ना टाईगर रिजर्व

विषय :– भूमि खसरा के मद की जानकारी के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 2025/364 दिनांक 25.02.2025

—————00—————

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 101, 94, 95, 69, 70, 72 एवं 80 के मद की जानकारी चाही गई है। उपलब्ध अभिलेख अनुसार खसरा नंबर 69, 70, की मद जंगल खसरा नंबर 72 की मद जगल कदीम एवं खसरा नंबर 101, 94, 95, 80 की मद पहाड़ दर्ज है। जानकारी आपकी ओर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–बिजावर
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

पृ.कमांक /102/भू–अर्जन/2025 बिजावर, दिनांक 11.03.2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–बिजावर
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

Other Latter 2023

Scanned with CamScanner